भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 59
21.07.2025 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान

59. श्रीमती माला रायः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने के लिए उठाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) और उक्त कार्य योजना के आठ मिशनों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) भारत सरकार जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और उसने पेरिस करार के तहत जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) में प्रस्तुत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने के लिए कई उपाय किए हैं।

इन उपायों में समय-समय पर शुरू की गई विभिन्न नीतियाँ, योजनाएँ और कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अनुकूलन और उपशमन, दोनों स्तरों पर भारत की कार्रवाई को बढ़ाना है। स्वच्छ ऊर्जा, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करने, कम कार्बन उत्सर्जन और अनुकूल शहरी केंद्रों के विकास, अपशिष्ट से धन प्राप्ति को बढ़ावा देने, सुरक्षित, स्मार्ट और संधारणीय हरित परिवहन नेटवर्क, वन और वृक्ष आवरण बढ़ाकर कार्बन सिंक सृजित करने, और कृषि, जल संसाधन, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन में जलवायु अनुकूलन को सुदृढ़ करने के लिए उचित उपाय किए जा रहे हैं। भारत की जलवायु कार्रवाई में नागरिकों के योगदान को भी शामिल किया गया है, जिसमें 'मिशन लाइफ' (पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली) के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यकलाप और 'एक पेड़ मां के नाम' जैसी पहल शामिल हैं।

सरकार, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) लागू कर रही है, जो जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के लिए एक व्यापक तंत्र है। एनएपीसीसी में सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक ज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में नौ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। सरकार एनएपीसीसी में उल्लिखित कार्यनीति के अनुरूप राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को जलवायु परिवर्तन संबंधी अपनी-अपनी राज्य कार्य योजनाएँ (एसएपीसीसी) तैयार करने में भी सहायता कर रही है। एनएपीसीसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य-विशिष्ट कार्यों के लिए अपनी एसएपीसीसी तैयार की हैं। एनएपीसीसी के अंतर्गत शामिल मिशनों को पेरिस करार के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुरूप संशोधित किया गया है। एनएपीसीसी के अंतर्गत यह मिशन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इसके परिणामस्वरूप, भारत में सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता 41 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है, जो वर्ष 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर जून 2025 में 116.25 गीगावाट हो गई है। भारत ने आर्थिक विकास को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से अलग करने की प्रक्रिया को उत्तरोत्तर जारी रखा है। वर्ष 2005 और वर्ष 2020 के बीच भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत की कमी आई है।

जून 2025 में भारत ने अपनी संस्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने के एनडीसी लक्ष्य को प्राप्त करके अपने ऊर्जा रूपांतरण में एक प्रमुख लक्ष्य हासिल किया है; जो कि 2030 की प्रतिबद्ध समय-सीमा से पांच वर्ष पहले हासिल किया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि, जलवायु कार्रवाई और संधारणीय विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो विकसित भारत@2047 के निर्माण में सहायक है। वैश्विक स्तर पर भारत की प्रगति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दुनिया में सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वाले देशों में से एक होने के बावजूद भारत उन गिने-चुने जी20 देशों में से एक है, जो अपने एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने या उससे भी आगे निकलने की राह पर हैं।

*****